

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... श्रीगोविंद बनाम श्रीमति
 किस्म मुकदमा धा.पि-223 अकील संख्या 2021/65
 अभिभाषक अपीलान्त सिद्ध लाल अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

24.1.25

पत्रावली पेश हुई। अतिमापक अपीलान्त
 उपस्थित। रेस्पोंडेंट R-2, R-4 के अती
 कोर्टि दफ्तार तामील ही एजिस्ट्री ही
 लॉड पेश ही गई, जो फा. 100 है।
 पत्रावली वाले कोर्ट रेस्पोंडेंटज, ही
 नमरी हेतु डिप्लॉ 21.1.25 का पेश
 है।

R-1, 3, 5 लॉ 9
 ही तामिली वेफ

(दीप्ति श्रीमन्मदीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7.2.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
 सत्य कर्म से सहर/अवकाश पर है। पत्रावली
 पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7.2.25
 को पेश है।

श्रीकेश
 सिकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

7.3.25

अस एमरी
 असमरी

7.3.25

पत्रावली पेश हुई। अतिमापक अपीलान्त एवं अपीलान्त
 को रक-रक कर लीन बार आवार्जे, लगावापी गयी,
 फिर भी उनकी कोर से कोरि भी उपस्थित नही हुआ।
 पत्रावली का अल्लेफ्त किमा गया। पत्रावली मे रेस्पों.
 कु. 1, 3, 5 लॉ 9 के डे कोरिस सम्पत्त तामील जरिये
 एजिस्ट्री श. 10 आदिनांत तउ अति. अपीलान्त द्वारा पेश
 नही किये गये। अतः पत्रावली मद्रक राजरी एवं अदप
 चैरबी के खारिज ही जाती है। पत्रावली फुल शुक्रा होत्र
 बाद तामिल तकील दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति श्रीमन्मदीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा





न्यायालय - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज0) F.D.

Roh
9.4.21

अपील संख्या - /2021

मांगीबाई पत्नी रामलाल जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)अपीलान्त

बनाम

- 1- प्रेमसिंह (फोट)
- 1- छमीबाई पुत्री प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 2- कमलीबाई पुत्री प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 3- प्रकाश आत्मज प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 4- कालीबाई पुत्री प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) नाबालिग जयें संरक्षक वली भाई प्रकाश आत्मज प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 5- उर्मिला पुत्री प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) नाबालिग जयें संरक्षक वली भाई प्रकाश आत्मज प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 6- जन्तीबाई पुत्री प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) नाबालिग जयें संरक्षक वली भाई प्रकाश आत्मज प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 7- पूनाबाई पत्नी प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 2- रमेश आत्मज गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 3- नाहरसिंह आत्मज गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)


Adhikari

- 4- बनेसिंह आत्मज गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 5- संतराबाई पुत्री गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 6- मोमनीबाई पुत्री गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 7- गुलाबबाई विधवा पत्नी गंगाराम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 8- शान्तिबाई पत्नी बीरम जाति तंवर निवासी ग्राम पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
- 9- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

.....रेस्पोंडेंटस

विषय - अपील विरुद्ध निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 11/03/2020

उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना दावा संख्या - 97/2019

तहत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मान्यवर ,

निवेदन है कि विवादग्रस्त आराजी अपीलान्त की कब्जे, काश्त एवं शामलाती खातेदारी की आराजी है - लेकिन अपीलान्त के कब्जेशुदा व खरीदशुदा आराजी बंटवारे में नहीं देकर गलत रूप से निर्णय एवं फाईनल डिक्री जारी कर दी - इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण त्रुटी की है- जिसके विरुद्ध अपीलान्त निम्नलिखित कारणों सहित अपील प्रस्तुत करता है ।

(1):- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11/03/2020 को निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की है - जिसके बारे में अपीलान्त को कभी भी पता नहीं लगा - अपीलान्त को माननीय अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 11/03/2021 को हुआ जब कि रेस्पोंडेंटस ने अपीलान्त से कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त के हिस्से व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेंगे - इसके तुरन्त बाद अपीलान्त ने मालूमात करके


Advocate